मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

– – –

एफ क्रमांक 3-4/77/3/1 भोपाल, दिनांक 3 जून, 1977
13 ज्येष्ठ, 1899

प्रति,

शासकीय समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषयः- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निम्न श्रेणी लिपिक के पदों में नियुक्ति करना ।

०००००

इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1972 के ज्ञापन क्रमांक 127/782/1(3)72
के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा सभी कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक के पद में 10 प्रतिशत
सित स्थानों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्त करने के आदेश निकाले गए थे जो हायर
सैकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हों । ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति के बाद एक वर्ष के भीतर हिन्दी
मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक किया गया है । राज्य शासन द्वारा यह निर्णय
लिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपर्युक्त आदेश के अनुसार उनके लिए आरक्षित
पदों में निम्न श्रेणी लिपिक के पद में नियुक्त करने के बाद हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण
करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो
उपर्युक्त ज्ञापन के अनुसार अभी तक नियुक्त किए गए हैं, और हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा
उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0 वेंकन्ना)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन

एफ क्रमांक 3-4/77/3/1 भोपाल दिनांक 3 जून, 1977
13 ज्येष्ठ, 1899

प्रतिलिपि :-

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
– – – – – – – – – – – – – – –
2. राज्यपाल के सचिव
सचिव, विधान सभा, मध्यप्रदेश भोपाल

उप सचिव